

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

4540

पटना, दिनांक- 08.06.26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
पटना।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-4)1	श्री अनिल सिंह (आवेदक)	BR01PN-7174	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 01 दिन
2	(क-4)2	श्री अनिल सिंह (आवेदक)	BR01PN-7173	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
3	(क-5)2	श्री शुभम किशोर (आवेदक)	BR01PR-9222	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 29 दिन
4	(क-34)1	श्री अशोक प्रसाद (आवेदक)	BR01PJ-3611	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 21 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

5.6.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
गया।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-13)5	श्री राजू कुमार यादव (आवेदक)	BR02PC-4924	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 30 दिन
2	(क-23)7	श्री छोटू यादव (आवेदक)	BR02PC-8180	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
3	(क-23)7	श्री रवि शंकर सिंह (आपत्तिकर्ता)	BR02PB-7239	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
4	(क-24)3	श्री कुणाल कुमार (आवेदक)	BR02PB-9627	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
5	(क-24)4	श्री रोहित कुमार (आवेदक)	BR02PC-2627	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
6	(क-25)2	श्रीमती विभा कुमारी (आवेदिका)	BR02PC-9624	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
7	(क-27)2	BSRTC (आवेदक)	BR02PC-2669	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 23 दिन
8	(क-27)4	श्री अभिषेक कुमार सिंह (आवेदक)	BR02PC-3059	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 04 दिन
9	(क-32)3	श्री विशाल कुमार (आवेदक)	BR02PC-8185	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
10	(क-32)6	श्रीमती विनिता सिंह (आवेदिका)	BR02PA-7551	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 03 दिन
11	(क-33)1	श्री प्रदीप कुमार वर्मा (आवेदक)	BR02PC-1828	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 29 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

- 4542

पटना, दिनांक- 08-06-28

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर।

विषय:-

दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।


उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न

प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-9)1	BSRTC (आवेदक)	BR06PG-4773	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 28 दिन
2	(क-46)3	श्री राकेश कुमार झा (आपत्तिकर्ता)	BR06PD-1551	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
3	(क-47)1	श्री अस्मित (आवेदक)	BR06RA-6521	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 24 दिन
4	(क-47)2	श्री अस्मित (आवेदक)	BR06RA-9721	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 19 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026 - 4563

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
नालन्दा।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-2)2	BSRTC	BR21PA-6322	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 21 दिन
2	(क-8)2	श्री संजय कुमार (आवेदक)	BR21P-7098	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
3	(क-41)1	श्री निशांत चौधरी (आवेदक)	BR21PA-8485	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 27 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

M. S. B. 26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

- 4544

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
नवादा।

विषय:-

दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-7)1	श्री रामाशंकर कुशवाहा (आवेदक)	BR27P-4586	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 29 दिन
2	(क-7)3	श्री धर्मेन्द्र कुमार (आवेदक)	BR27P-4469	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 01 दिन
3	(क-7)	श्री प्रकाश कुमार (आपत्तिकर्ता)	BR27P-4186	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
4	(क-11)5	श्री दिलीप कुमार उपाध्याय (आवेदक)	BR27P-4543	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 30 दिन
5	(क-33)2	श्री अजित कुमार (आवेदक)	BR27P-0025	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
6	(क-35)2	श्री नीरज कुमार (आवेदक)	BR27P-4504	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
7	(क-35)3	सुश्री श्वेता कुमारी (आवेदिका)	BR27P-4468	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 21 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

*(Handwritten Signature)*  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
औरंगाबाद।

विषय:-

दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-12)1	श्री राहुल कुमार (आपत्तिकर्ता)	BR26PA-8767	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
2	(क-12)3	श्री अरविन्द कुमार सिंह (आपत्तिकर्ता)	BR26PA-2405	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
3	(क-12)6	श्री अरविन्द कुमार सिंह (आवेदक)	BR26PA-8105	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 02 दिन
4	(क-12)7	श्री अरविन्द कुमार सिंह (आवेदक)	BR26PA-9005	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
5	(क-13)2	श्री कुमार रणधीर बहादुर सिंह (आवेदक)	BR26PB-1616	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 30 दिन
6	(क-14)1	श्री अरविन्द कुमार सिंह (आवेदक)	BR26PA-2011	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 18 दिन
7	(क-14)2	श्री अरविन्द कुमार सिंह (आवेदक)	BR26PA-2001	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
8	(क-17)1	श्री सुनील कुमार सिंह (आपत्तिकर्ता)	BR26PB-8838	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
9	(क-17)4	श्री संजय कुमार सिंह (आपत्तिकर्ता)	BR26PA-8288	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
10	(क-18)1	श्री राहुल कुमार (आपत्तिकर्ता)	BR26PA-8767	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
11	(क-20)1	श्री अमरजीत कुमार सिंह	BR26PB-7779	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 30 दिन
12	(क-25)3	श्री राहुल कुमार (आपत्तिकर्ता)	BR26PA-9955	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

4546

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
जमुई।

विषय:-

दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-37)2	श्री नरेन्द्र सिंह (आवेदक)	BR46P-6320	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
2	(क-39)2	श्री रंजन कुमार सिंह (आवेदक)	BR46P-6127	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 04 दिन
3	(क-56)3	श्री अनोज कुमार (आवेदक)	BR 46P-4748	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निर्वाचित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

4547

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
बेगूसराय।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न

प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-62)1	श्री राजेश कुमार (आवेदक)	BR09PA-6221	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

M/S-26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

4548

पटना, दिनांक- 08-06-26

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
सीतामढ़ी।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-49)1	श्री राजेश कुमार (आवेदक)	BR30PA-7251	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 30 दिन
2	(क-49)2	श्री अमित कुमार (आवेदक)	BR30PA-8151	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 25 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

5-6-26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
भागलपुर।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-55)2	श्री अमरेन्द्र कुमार शर्मा (आवेदक)	BR10PC-9394	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 25 दिन
2	(क-55)7	श्रीमती मंजु देवी (आवेदिका)	BR10PB-8660	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 02 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

08-06-26

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
लखीसराय।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-56)5	श्री कृष्ण नन्दन सिंह (आवेदक)	BR53P-3864	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन
2	(क-56)6	श्री कृष्ण नन्दन सिंह (आवेदक)	BR53P-1027	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 20 दिन
3	(क-56)7	श्री कृष्ण नन्दन सिंह (आवेदक)	BR53P-2228	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 08 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

6/5-6/20  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

455)

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
वैशाली।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-47)3	श्री प्रमोद कुमार (आपत्तिकर्ता)	BR31PA-7751	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

4552

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
बाँका।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।


उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न

प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-50)1	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह (आवेदक)	BR51P-0821	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

4553

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
रोहतास।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।


उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न

प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-19)1	श्री सुनील कुमार सिंह	BR24PA-2238	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 01 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन



सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

4554

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
भोजपुर (आरा)।

विषय:-

दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।


उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न

प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-12)3	श्री रामाशंकर सिंह (आपत्तिकर्ता)	JH08F-6741	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल 03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन



सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-10/2026

4555

पटना, दिनांक- 08-06-26

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
पूर्णियाँ।

विषय:- दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-21 अप्रैल, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-4001, दिनांक-22.05.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों (आवेदक/आपत्तिकर्ता) द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
01	(क-60)1	श्रीमती स्मिता (आवेदिका)	BR11PD-5581	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल 25 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।